न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 31 / 2022

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा त0 भादरा। प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री विनोद सिंगाठिया प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 27/10/2022

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही अजीतपुरा के खाता सं0 467 / 560 के खसरा सं0 1259 / 806 की 3.0350है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल, महेन्द्रपाल पुत्र रामजीलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामलाल है। शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामलाल दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। व प्रार्थी के भाई महेन्द्रपाल ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड पिता का नाम रामजीलाल के स्थान पर रामलाल किया जावे तो कोई आपति नहीं है।

साक्ष्य प्रार्थी में शंकरलाल पि0 रामजीलाल द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति, वोटर लिस्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड, प्रदर्शित करवायें।

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामलाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों व रिपॉर्ट के प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही अजीतपुरा के खाता सं0 467/560 के खसरा सं0 1259/806 की 3.0350है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामलाल है इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही अजीतपुरा के खाता सं0 467/560 के खसरा सं0 1259/806 की 3.0350है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल की जगह प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का शंकरलाल, महेन्द्रपाल पि0 रामजीलाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 27/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner